


आदेश

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा के अधीन कार्यरत निम्न नर्स-2 परीवीक्षाधीन का उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र०स०	नाम कार्मिक	अवकाश अवधि
1	विशाल पण्ड्या	दिनांक 09.06.16 से दिनांक 30.06.16 तक-22दिवस
2	बादामीलाल	दिनांक 09.06.16 से दिनांक 30.06.16 तक-22दिवस
3	दिप्ती जैन	दिनांक 09.06.16 से दिनांक 21.07.16 तक-43दिवस
4	प्रेमचन्द डोडियार	दिनांक 09.06.16 से दिनांक 30.06.16 तक-22दिवस
5	धनेश्वर पाटीदार	दिनांक 09.06.16 से दिनांक 30.06.16 तक-22दिवस
6	नैयमिश त्रिवेदी	दिनांक 08.06.16 से दिनांक 30.06.16 तक-23दिवस
7	सरफराज शेख	दिनांक 08.06.16 से दिनांक 30.06.16 तक-23दिवस
8	कैलाश चन्द्र माल	दिनांक 09.06.16 से दिनांक 30.06.16 तक-22दिवस
9	सुशीला गरासिया	दिनांक 06.09.16 से दिनांक 16.10.16 तक-41दिवस
10	विपुल कुमार कलाल	दिनांक 09.06.16 से दिनांक 30.06.16 तक-22दिवस

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश (क्रम संख्या 03 पर अंकित 13 दिवस एवं क्रम संख्या 09 पर अंकित 11 दिवस) की सीमा तक परीवीक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/बी-685/2018/802

दिनांक:- 04/06/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन उदयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।